न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 06 / 2022

विजय मिश्रा पुत्र श्रीचन्द शर्मा निवासी गयाकुण्ड मौहल्ला कस्बा कामां जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 15.02.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विजय मिश्रा पुत्र श्रीचन्द शर्मा निवासी गयाकुण्ड मौहल्ला कस्बा कामां जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2021 से प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/36 दिनांक 03.02.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से पत्र कमांक जिला पूल/आर. टी.आई/2021/86–88 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक जिला पूल/आर.टी.आई/2021/86–88 दिनांक 09.02.2022 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को सूचना पत्र कमांक 85 दिनांक 09.02.2022 प्रति भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर